



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 जनवरी, 2024

पौष 11, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 01/2024/558/80-1-2023-80-1003(002)-3-2023

लखनऊ, 1 जनवरी, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०-1

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 70 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 70 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(एक) नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, मण्डी समिति आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,-

स्तम्भ-1विद्यमान खण्ड

(क) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी ऋण दिवालिया नहीं है;

(ख) उसका यह समाधान हो जाये कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र, नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और उसके सम्बन्ध में आदेश को संसूचित करेगी।

स्तम्भ-2एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक ऋण दिवालिया नहीं है;

(ख) उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदक उपयुक्त व्यक्ति है जिसे लाइसेंस दिया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) लाइसेंस हेतु संलग्नक तथा शुल्क और ऐसी विशिष्टियाँ जैसा कि, नियमों/ उपविधियों द्वारा विहित की जायें, सहित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर समिति, आवेदन-पत्र प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और इसे आवेदक को संसूचित करेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के उपनियम (1), (2), (3) एवं (4)(1)(क), (ख) तथा (ग) अन्य राज्य के व्यापारियों पर लागू नहीं होंगे और यदि किसी अन्य राज्य के व्यापारी, जो उस राज्य की किसी मण्डी समिति के वैध लाइसेंसधारी हैं, राष्ट्रीय पोर्टल (ई-एन0ए0एम0 पोर्टल या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पोर्टल) के माध्यम से लाइसेंस हेतु आवेदन करता है तथा उस राज्य की मण्डी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है; तो मण्डी समिति किसी अन्य दस्तावेजों की माँग किये बिना या किसी लाइसेंस शुल्क तथा अग्रिम धनराशि को जमा कराये बिना 03 दिन के भीतर लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे लाइसेंसधारकों के सम्बन्ध में अग्रतर मार्गदर्शी सिद्धान्त, राज्य सरकार की अनुज्ञा से सम्बन्धित राज्यों के मण्डी परिषद तथा निदेशक मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की सहमति के आधार पर हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के माध्यम से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2024/558/LXXX-1-2023-80-1003(002)-3-2023, dated January 1, 2024 :

No. 01/2024/558/ LXXX-1-2023-80-1003(002)-3-2023

*Dated Lucknow, January 1, 2024*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Ahdhinyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (ATTHAISWAN  
SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Atthaiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2023. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, for clause (i) of sub-rule (4) of rule 70 set out in column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 70

COLUMN-1

*Existing clause*

(i) On receipt of such application together with the amount of fee prescribed under Rule 67, the Market Committee may issue him the license applied for, if,-

(a) it is satisfied that the applicant is solvent;

(b) it is satisfied that the applicant is a desirable person to whom a license may be granted:

Provided that the provisions of sub-clause (a) shall not apply to Weighment, Measures, Palledars, Truck plyers and Thela plyers.

(c) On receipt of an application for license alongwith enclosures and fee and such particulars as may be prescribed by the rules/bye-laws the committee shall take decision within 30 days from the date of receipt thereof, to either grant or refuse to grant such license by a reasoned order in writing and communicate the same to the applicant.

COLUMN-2

*Clause as hereby substituted*

(i) On submission of application along with the fixed amount of fee under Rule 67, the Market Committee may issue a license to the applicant if,-

(a) it is satisfied that the applicant is solvent;

(b) it is satisfied that the applicant is a suitable person to whom a license may be granted:

Provided that the provisions of sub-clause (a) shall not apply to the Weighman, Measures, Palledars, Truck driver and Vendors.

(c) On receipt of an application for license alongwith enclosures and fee and such particulars as may be prescribed by the rules/bye-laws the committee shall take decision within 30 days from the date of receipt thereof, to either grant or refuse to grant such license by a reasoned order in writing and communicate the same to the applicant:

COLUMN-1*Existing clause*COLUMN-2*Clause as hereby substituted*

Provided also that sub-rules (1), (2), (3) and (4) (1) (a), (b) and (c) of this rule shall not apply to the traders of other States and if a trader of another State, who is a legal licensee of any market committee of that State, applies for the licence through National Portal (e-NAM portal or any other portal run by Central Government) and recommended by the market committee of that State; then the market committee shall issue the licence within 3 days without demanding any other documents or without depositing licence fee and any earnest money. In respect of such licences, further guidelines shall be issued through MOU signed on the basis of consensus of Market Boards of respective States and Director of Market Board, Uttar Pradesh with the permission of the State Government.

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

*Apar Mukhya Sachiv.*